संख्या-36/2016/760/एक-6-2016-15(11)/2014

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2016**

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में राजस्व परिषद अधिष्ठान व्ययों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2103/14(बजट)-27-2052-राजस्व परिषद-2016-17 दिनांक 12-7-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद में अधिष्ठान-व्यय की विभिन्न मदों में बचनबद्ध व्ययों को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनेत्तर पक्ष में आय-व्ययक में रू0 287540 हजार (रू0 अट्ठाइस करोड़ पिचहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) का प्राविधान है। इस धनराशि में मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 2500 हजार भी सम्मिलित है। इस धनराशि को पृथक किये जाने पर बजट में प्राविधानित शेष धनराशि रू0 285040 हजार में से 50 प्रतिशत धनराशि रू0 142520 हजार (रू0 चौदह करोड़ पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की शासनादेश संख्या-390/1-6-2016-15(11)/2015, दिनांक 06-04-16 द्वारा वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है। मजदूरी मद में आय व्ययक में रू0 42,00,000/- तथा प्रशिक्षण हेतु यात्रा व अन्य प्रासंगिक व्यय मद में रू0 1,00,000/- की व्यवस्था थी, जिसमें से 50 प्रतिशत धनराशि क्रमश: रू0 21,00,000/- तथा 50,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। वर्तमान में आय व्यय में मजदूरी मद में रू0 21,00,000/- तथा प्रशिक्षण मद में रू0 50,000/- की धनराशि अवशेष है।

श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22:03:2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन मजदूरी मद में रू0 21,00,000/- (रू0 इक्कीस लाख मात्र) तथा प्रशिक्षण मद में रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 21,50,000/- (रू0 इक्कीस लाख पचास हजार मात्र), जिसका लेखाशीर्षक एवं मदवार विवरण निम्नवत है, की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये मे)

मद संख्या	लेखाशीर्षक	वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि	शासनादेश दिनांक 06-04-2016 द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अनुदान संख्या-52 लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-02-मजदूरी	4200	2100	2100
	अनुदान संख्या-52 लेखाशीर्षक-2052-	100	50	50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय			
	योग-	4300	2150	2150

(धनराशि रू0 इक्कीस लाख पचास हजार मात्र)

(1) उपरोक्त स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में सम्न्धित व्यय के केवल स्वीकृति चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय नई मदों के क्रियान्वयन में न किया जाये। साथ ही मदों में व्यय स्वीकृत धनराशि के भीतर ही सीमित रखा जायेगा और बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका और वित्तीय नियम संग्रहों के संगत नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिये गये प्राविधानानुसार व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। इस सम्बन्ध बी0एम0-13 प्रपत्र पर सूचना नियमित रूप से प्रतिमाह दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी जाये।

(4) प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6-6-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्र्डस आफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

(6) उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त आहरण के स्थान पर आवश्यकतानुसार किश्तों में धनराशि का आहरण किया जाये।

(7) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/206/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक - "2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर -099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद" के अधीन सुसंगत मदों व प्राथमिकता इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-746/दस-2016-2231/2016,दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-760(1)/एक-6-2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा-पीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट लखनऊ/इलाहाबाद ।
4- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्त एवं सांख्यिकी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- वित्त(आय-वययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।